एनसीईआरटी पुस्तक विवाद: शैक्षिक स्वायत्तता और संस्थागत जवाबदेही का द्वंद्व

UPSC प्रासंगिकता - प्रारम्भिक परीक्षा: न्यायपालिका के कार्य और अधिकार क्षेत्र, शिक्षा के अधिकार से संबंधित कानूनी प्रावधान

मुख्य परीक्षा- GS पेपर II: संविधान के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण', 'न्यायपालिका की भूमिका', और 'संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा' , GS पेपर IV: पाठ्यचर्या निर्माण में निष्पक्षता', 'सूचना की सटीकता

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों है?

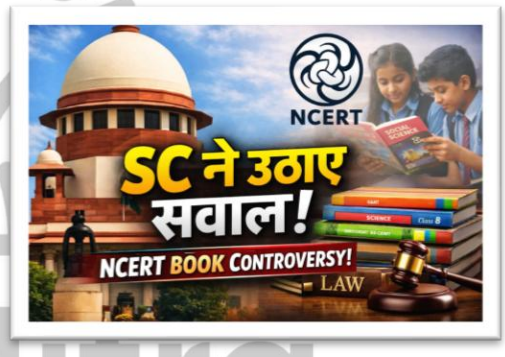

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी (NCERT) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के एक विवादास्पद अध्याय को लेकर एनसीईआरटी के निदेशक द्वारा दायर हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायपालिका का यह हस्तक्षेप तब हुआ जब एनसीईआरटी ने दावा किया कि **'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार'** संबंधी विवादित अंश को विशेषज्ञों की एक आंतरिक टीम द्वारा "विधिवत पुनर्लिखित" कर दिया गया है। अदालत ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और विशेषज्ञों की योग्यता पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए इसे भविष्य के पाठ्यक्रम हेतु एक 'सुधारात्मक दिशानिर्देश' के रूप में देखा है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

विवाद की पृष्ठभूमि

एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के संबंधित खंड में भारतीय न्यायपालिका के कामकाज की चर्चा करते समय **"न्यायपालिका में भ्रष्टाचार"** (Corruption in Judiciary) पर एक विशिष्ट और विस्तृत हिस्सा जोड़ा गया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अध्याय की भाषा और सामग्री "पक्षपातपूर्ण" थी। जिससे छात्रों के सामने न्यायपालिका की एक नकारात्मक छवि बन रही थी।

इसे निम्नलिखित बिन्दुओ के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. अध्याय जोड़ने का समय: एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान (Social Science) की इस नई पाठ्यपुस्तक को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023 के आधार पर तैयार किया था। यह अध्याय मुख्य रूप से शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए पेश की गई संशोधित पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा था।

2. विवाद का प्रारंभ: विवाद तब शुरू हुआ जब यह पुस्तक स्कूलों में वितरण के लिए पहुंची और कानूनी विशेषज्ञों तथा शिक्षाविदों ने इसमें न्यायपालिका के चित्रण पर आपत्ति जताई। फरवरी 2026 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा , जहाँ अदालत ने पाया कि अध्याय में न्यायपालिका के खिलाफ "पक्षपातपूर्ण" और "नकारात्मक" टिप्पणियाँ की गई हैं।

3. विवाद के प्रमुख चरण

a. **26 फरवरी, 2026:** सुप्रीम कोर्ट ने इस पाठ्यपुस्तक पर "पूर्ण और संपूर्ण" प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने इसे बच्चों के दिमाग में संस्थागत अविश्वास पैदा करने की कोशिश माना।
b. **मार्च 2026:** केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि वे 82,000 से अधिक प्रतियाँ वापस ले चुके हैं।
c. **हालिया स्थिति:** एनसीईआरटी ने दावा किया कि उन्होंने इसे "पुनर्लिखित" कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना बाहरी विशेषज्ञों की जांच के इसे स्वीकार करने से मना कर दिया है।

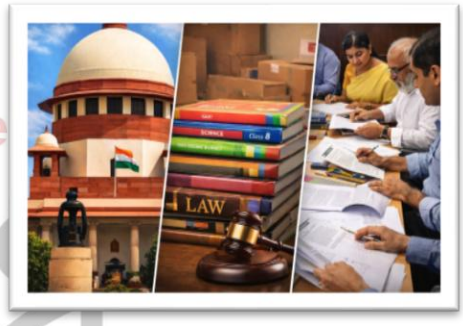

4. अदालत का प्रथम दृष्टया अवलोकन: अदालत इस बात से अधिक नाराज है कि एनसीईआरटी ने अपनी 'टेक्स्टबुक डेवलपमेंट टीम' के माध्यम से इसे **गुपचुप तरीके से बदलने** की कोशिश की, जबकि अदालत ने पहले ही प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि केवल "संकाय सदस्य" (Faculty members) पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए न्यायविदों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की एक स्वतंत्र समिति होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे किशोर छात्रों के "प्रभावित होने वाले मन" (impressionable minds) के लिए हानिकारक माना। अदालत का तर्क है कि बच्चों में न्यायपालिका के प्रति अनादर या पक्षपात पैदा करना संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास को जन्म देता है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

I. **विशेषज्ञ समिति की आवश्यकता:** अदालत ने स्पष्ट किया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव का कार्य केवल आंतरिक संकाय के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एक उच्च -स्तरीय समिति; जिसमें पूर्व न्यायाधीश, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और कानून विशेषज्ञ हों, की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती है कि शैक्षणिक सामग्री में संवैधानिक दृष्टिकोण बना रहे।

II. **संस्थागत निष्पक्षता बनाम आलोचना:** न्यायालय ने स्पष्ट किया है, कि वह वस्तुनिष्ठ और तार्किक आलोचना का स्वागत करता है, लेकिन वैचारिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना 'आलोचना' नहीं, बल्कि 'दुष्प्रचार' है।

III. **पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया (NSTC):** यह मामला 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति' (NSTC) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। क्या सामग्री का मसौदा तैयार करने वाली 'टेक्स्टबुक डेवलपमेंट टीम' (TDT) के पास पर्याप्त विशेषज्ञता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न है।

IV. **सोशल मीडिया का प्रभाव:** अदालत ने ऑनलाइन "शरारत फैलाने वालों" पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि संस्थाओं के खिलाफ भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने वाले डिजिटल प्लेटफार्मों की भी जवाबदेही होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आलोचनात्मक व्याख्या

सकारात्मक पक्ष:

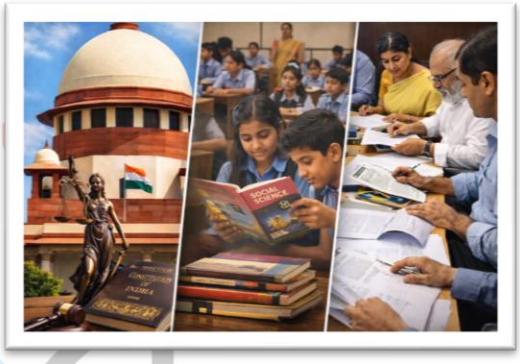

1. **संस्थागत गरिमा:** एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह देश की प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं (जैसे न्यायपालिका) की निष्पक्षता और गरिमा की रक्षा करे, विशेषकर शिक्षण सामग्री के माध्यम से होने वाले दुष्प्र चार से।

2. **बच्चों का संरक्षण:** 'प्रभावित होने वाले मन' की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि प्रारंभिक शिक्षा के दौरान छात्रों में संस्थागत अविश्वास न पनपे।

3. **गुणवत्ता नियंत्रण:** विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति द्वारा पाठ्यक्रम की समीक्षा से शैक्षणिक सामग्री में उच्च मानक और तथ्यात्मक सटीकता बनी रहती है।

आलोचनात्मक पक्ष:

1. **शैक्षिक स्वायत्तता का हनन:** आलोचकों का तर्क है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का कार्य है। यदि न्यायपालिका सीधे तौर पर पाठ्यक्रम के शब्दों को 'नियंत्रित' करती है, तो इससे 'अकादमिक स्वतंत्रता' (Academic Freedom) प्रभावित हो सकती है।

2. **अति-संवेदनशीलता का जोखिम:** यह तर्क दिया जाता है कि संस्थानों की 'सकारात्मक छवि' बनाए रखने के दबाव में, शिक्षा में समालोचनात्मक सोच (Critical Thinking) और सामाजिक वास्तविकता (जैसे भ्रष्टाचार) के पहलुओं को पूरी तरह नकारा जा सकता है।

3. **शक्तियों के पृथक्करण का प्रश्न:** क्या न्यायपालिका का पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा में इस हद तक सक्रिय होना शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत के अनुकूल है? इसे कार्यकारी और शैक्षणिक क्षेत्रों में न्यायिक अतिसक्रियता के रूप में देखा जा सकता है?

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

निष्कर्ष

एनसीईआरटी (NCERT) पाठ्यपुस्तक विवाद केवल एक किताब का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र में 'शैक्षिक सामग्री' कितनी संवेदनशील है। न्यायपालिका द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने का आदेश एक संतुलित दृष्टिकोण है, जो न तो अकादमिक स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त करता है और न ही संस्थागत उत्तरदायित्व को अनदेखा करता है। भविष्य के लिए, यह आवश्यक है कि NCERT अपनी पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और बहु-विषयक विशेषज्ञता को शामिल करे, ताकि शिक्षा का उद्देश्य न केवल सूचना देना हो, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी हो।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

IAS-PCS Institute

प्रश्न 1: न्यायपालिका की आलोचना और शिक्षण सामग्री के बीच संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सही है?

A. अनुच्छेद 121 और 211 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा प्रतिबंधित है, लेकिन यह प्रतिबंध पाठ्यपुस्तकों पर लागू नहीं होता।
B. शैक्षिक सामग्री में संस्थागत आलोचना केवल तभी संवैधानिक मानी जा सकती है जब वह वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित हो और उसका उद्देश्य न्याय प्रशासन में सुधार हो।
C. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य पूर्णतः स्वायत्त है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप पूरी तरह वर्जित है।
D. भारतीय संविधान में शिक्षण सामग्री के मानकीकरण के लिए किसी भी डोमेन विशेषज्ञ समिति की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

उत्तर: (B)

प्रश्न 2: 'प्रभावित होने वाले मन' की अवधारणा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

@resultmitra www.resultmitra.com 9235315184, 9235440806

1. यह अवधारणा उन शिक्षण सामग्रियों पर लागू होती है जो प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करती हैं।
2. इसका अर्थ है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को शिक्षा के शुरुआती चरणों में केवल संस्थाओं के सकारात्मक पहलुओं से ही अवगत कराया जाए।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका के विरुद्ध कोई भी आलोचना संवैधानिक रूप से वर्जित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 2
(D) केवल 1 और 3

उत्तर: (A)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: शैक्षिक पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक संस्थाओं का चित्रण और 'अकादमिक स्वतंत्रता' के मध्य संतुलन एक जटिल चुनौती है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद के आलोक में, शिक्षण सामग्री में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने हेतु 'डोमेन विशेषज्ञों' की भूमिका और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (शब्द सीमा: 250)

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806